

**राज्यों और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण
(केंद्रीय करों और शुल्कों की निवल आगमों में राज्यों के हिस्से को छोड़कर)**

(₹ करोड़)

क्रम सं.	व्यय की मद	वास्तविक 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017	संशोधित अनुमान 2016-2017	बजट अनुमान 2017-18
I	अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें	43143.09	35462.60	44864.35	48446.53
क	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	603.54	313.60	499.85	500.03
ख	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	603.58	700.00	650.00	700.50
ग	स्वायत्त परिषदों और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को अनुदान-राज्यों को अंतरण की मांग	...	1000.00	1.00	500.00
घ	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध के अंतर्गत स्कीमें-जनजातीय कार्य मंत्रालय	1392.26	1196.00	1060.50	1228.00
ङ	मांग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र को विशेष केंद्रीय सहायता-जनजातीय कार्य मंत्रालय	1132.17	1173.00	1123.00	1248.00
च	मांग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	799.56	780.00	780.00	770.00
छ	मांग के अंतर्गत विशेष सहायता-राज्यों को अंतरण	10890.00	9000.00	11000.00	11000.00
ज	एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	12451.96	6450.00	8450.00	10000.00
झ	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-अनुदान	2771.82	2350.00	3500.00	4000.00
ञ	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-ऋण	12498.20	12500.00	17800.00	18500.00
II	वित्त आयोग की अनुदानें	84578.79	100646.36	99114.56	103101.38
क	ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	19993.43	33870.52	33870.52	39040.96
ख	शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	6924.35	14997.84	14997.84	17247.42
ग	एसडीआरएफ हेतु सहायता अनुदान	8756.01	10470.00	8938.20	10993.00
घ	हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदानें	48905.00	41308.00	41308.00	35820.00
III	राज्यों को कुल अंतरण [(I)+(II) से इतर]	195050.77	190436.49	201363.09	212466.13
क	केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	175736.44	175964.59	182519.83	202952.00
ख	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	2606.36	4325.09	8483.74	8823.66
ग	व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	16702.07	10137.31	10351.02	680.97
घ	पूंजी अंतरण	5.90	9.50	8.50	9.50
IV	दिल्ली और पुडुचेरी को कुल अंतरण	5138.67	5319.96	5547.12	3996.24
क	केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	986.80	1510.23	1638.83	1672.01
ख	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	52.57	234.27	82.30	80.78
ग	व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) [^]	4027.30	3503.46	3753.99	2171.45
घ	पूंजी अंतरण	72.00	72.00	72.00	72.00
V	पूर्वोत्तर राज्यों को अंतरण* [(I)+(II) से इतर]	378.36	28471.70	31421.61	42498.97
	सकल जोड़ (I+II+III+IV+V)	328289.68	360337.11	382310.73	410509.25

यह विवरण राज्यों को अंतरण से संबंधित मुख्य शीर्षों और राज्यों को अंतरण से संबंधित राजस्व व्यय खंड के अंतर्गत कतिपय कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए आवंटन के बारे में है।

* पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित वर्ष 2015-2016 का वास्तविक व्यय तत्संबंधी कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया है और यह तत्संबंधी लाइनों (पूर्वोत्तर राज्यों को अंतरण से इतर) में दर्शाया गया है।

[^] पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जिन्हें क्रम सं. V के तहत दर्शाया गया है।